न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 44/18 **निर्णय दिनांक 06.08.2018**

1. झंवरलाल पुत्र मूलचन्द दत्तक पुत्र कुनणी एवं श्रीकिशन जाति माली निवासी शरह कजाणी तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. श्यामसुन्दर पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी शरह कजाणी, रिड़मलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।
2. गोरधन पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी मकान नम्बर बी/2/250 सुदर्शनानगर,बीकानेर।
3. पूनमचन्द पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी चौपड़ा कटला के पीछे, पानी की टंकी के पास, रानी बाजार, बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 30—05—2018
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विनोद पुरोहित, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
4. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
5. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 30—05—2018 जिसके द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त व काबिज काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि मौजारोही शरह कजाणी तहसील बीकानेर के पुराना खसरा नम्बर 10, 11 व 12 में कुल तादादी 64.15 बीघा जिसके बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 42 में 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 43 मं 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 44 में 6.70 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 45 में 2.85 हेक्टर कुल तादादी 9.75 हेक्टर पैमूद हुए। उक्त भूमि अपीलांट की दत्तक माता श्रीमती कुनणी बेवा श्रीकिशन जाती माली की खातेदारी भूमि एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। श्रीमती कुनणी बेवा श्रीकिशन ने अपीलांट को पूर्ण रीति रिवाज व रस्मों को निभाते हुए गोद लिया था। अपीलांट को गोद लेने के उपरान्त एक रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 06–03–1956 को श्रीमती कुनणी द्वारा निष्पादित किया गया। उक्त गोदनामा सब रजिस्ट्रार, बीकानेर द्वारा दिनांक 13–03–1956 को पंजीबद्ध करते हुए रजिस्टर्ड किया गया। उक्त रजिस्टर्ड गोदनामें पर अपीलांट के प्राकृतिक पिता मूलचन्द के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट स्व. कुनणी एवं श्रीकिशन का गोदपुत्र है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट की दत्तक माता श्रीमती कुनणी का स्वर्गवास वर्ष 1960 में हो गया था। स्व. कुनणी के स्वर्गवास के उपरान्त एक मात्र जायज व कानूनी वारिस अपीलांट के होने के कारण वादगत् भूमि का इंतकाल संख्या 9 उपरोक्त रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर वर्ष 1961 में अपीलांट के नाम से स्वीकृत किया गया। उक्त इंतकाल के आधार पर तमाम राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी आदि में अपीलांट का नाम बतौर खातेदार के रूप में तब से निरन्तर आज दिनांक तक चला आ रहा है तथा वादगत् भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तमाम तथ्य उनके समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी उक्त तथ्यों तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट के प्राकृतिक पिता मूलचन्द का निधन दिनांक 12—11—1997 को हो गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अपीलांट के प्राकृतिक पिता स्व. मूलचन्द की वसीयता दिनांक 11—03—1997 का हवाला दिया है। उक्त वसीयत में वादगत् भूमि के बाबत् किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। इससे भी यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि से मूलचन्द अथव मूलचन्द के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अपीलांट के प्राकृतिक पिता द्वारा अपने जीवन काल में वादगत् भूमि के बाबत् किसी प्रकार की कोई चाराजोई अपने जीवनकाल में नहीं की गई है ना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् करीब 50 वर्ष उपरान्त अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में दिनांक 03—05—2006 को एकतरफा तौर पर वादगत् भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के उपरान्त करीब 12 वर्ष उपरान्त अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित किये बिना ही वादगत् भूमि के बाबत् टाईटल दावें में तय नहीं हो जाते तब तक वादगत् भूमि के रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था क्योंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व टी.आई. जारी नहीं की जा सकती।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट की माता श्रीमती कुनणी का निधन वर्ष 1960 में हो चुका था तथा अपीलांट के प्राकृतिक पिता का स्वर्गवास दिनांक 12—11—1997 को हुआ था। अपीलांट के प्राकृतिक पिता द्वारा अपने जीवन काल में करीब 37 वर्ष तक वादगत् भूमि के बाबत् कोई उजरदारी किसी भी सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है। इसी क्रम में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलांट के प्राकृतिक पिता श्री मूलचन्द के पॉच लड़कियॉ क्रमशः धन्नी, रतनी, लक्ष्मी, ओमी व

संतोष भी थी। उक्त तथ्य अपीलांट के प्राकृतिक पिता स्व. मूलचन्द की वसीयत में भी उल्लेखित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद में मूलचन्द की पुत्रियों को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट/वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। अपीलांट को अपने प्राकृतिक पिता स्व. मूलचन्द से किसी प्रकार की कोई सम्पति का हिस्सा व हक प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे साबित है कि अपीलांट स्व. कुनणी बेवा श्रीकिसन का दत्तक पुत्र है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट दिनांक 06—03—1956 को स्व. कुनणी के गोद गया था। उक्त गोदनामा सब रजिस्ट्रार, बीकानेर द्वारा दिनांक 13—03—1956 को पंजीबद्व करते हुए रजिस्टर्ड किया गया। उक्त गोदनामें को 50 वर्ष की अवधि के बाद भी आज दिनांक तक किसी भी सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है ना ही कोई एफ.आई.आर उक्त गोदनामा फर्जी होने के बाबत् दर्ज करवाई गई है। विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही मौके पर कब्जा काश्त के संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है।

जबकि वादगत् भूमि के टाईटल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा नामान्तरणकरण, जमाबन्दी, गोदनामा, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि से वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त साबित होता है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तमाम तथ्या मौजूद होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्यों पर टिप्पणी किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व दस्तावेजरी साक्ष्यों के आधार पर यह देखा जाना चाहिए था कि वादगत् भूमि के बाबत् प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण/रेस्पोडेनट के पक्ष में बनती है अथवा नहीं, अदालत मातहत

द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना कोई विस्तृत विवेचन नहीं अंकित किया। केवल मात्र सरसरी तौर पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरबीजे 1997 पेज 44, आरबीजे 1997 पेज 481 पैरा 11 व 12, आरबीजे 1997 पेज 621, आरआरटी 2004 पार्ट II पेज 1045, आरबीजे 2005 पेज 87, आरबीजे 2014 एससी राज. पेज 326, आरबीजे 2016 पेज 244, आरबीजे 1997 एससी पेज 111 व आरबीजे 2013 पेज 95 हेडनोट 'बी' के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि शरह कजाणी तहसील बीकानेर के साबिका खसरा नम्बर 10, 11 व 12 तादादी 64.15 हेक्टर जिसके हाल बन्दोबस्त नये खसरा नम्बर 42, 43, 44, 45 में तादादी क्रमशः 0.10 हेक्टर, 0.10 हेक्टर, 6.70 हेक्टर व 2.85 हेक्टर कुल तादादी 9.75 हेक्टर पैमूद हुए। उक्त भूमि स्व. कुनणी बेवा श्रीकिसन जाति माली की खातेदारी भूमि रही है। कुनणी लाऔलाद फौत होने के कारण वादगत् भूमि का एक मात्र वारिस अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स के पिता स्व. मूलचन्द होने के कारण व मूलचन्द के स्वर्गवास के उपरान्त अपीलांट व रेस्पोडेन्ट प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित होने से वे अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार हुए।

अपीलांट द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए जानबूझकर तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत से साठगांठ करके वादगत् भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 9 अपने नाम से स्वीकृत करवा कर तमाम भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली गई। वास्तव में स्व. कुनणी व उनके पति श्रीकिशन ने कभी भी अपीलांट झंवरलाल को गोद नहीं लिया है। जो तमाम दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है।

उन्होनें आगे बताया कि दिनांक 10—04—1961 को भरा गया नामान्तरणकरण संख्या 9 जिसके आधार पर अपीलांट का नाम जमाबन्दी में आया है, उक्त दस्तावेज में अपीलांट की वल्दियत झंवरलाल पुत्र मूलचन्द दर्शायी गई है ना कि झंवरलाल पुत्र श्रीकिशन/कुनणी दशाई गई है। तत्पश्चात् की जमाबन्दियों में भी झंवरलाल पुत्र मूलचन्द लिखा गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट स्वयं अपने आप को मूलचन्द की संतान मानता है। इस संबंध में अदालत मातहत के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य यथा पहचान पत्र, बिजली का बिल, स्कूल की टीसी, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति, सेवा रिकार्ड बैंक पास बुक, पारिवारिक राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे। उक्त तमाम दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है कि झंवरलाल मूलचन्द का वारिस है तथा अपीलांट कभी भी कुनणी के गोद नहीं गया था।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आगे कथन किया गया कि वादगत् भूमि पर कभी भी अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ना ही अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जबकि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा माईनिंग लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें खसरा नम्बर 10 व 11 पर श्यामसुन्दर व पूनमचन्द पुत्र मूलचन्द के नाम दर्ज है। जिससे साबित है कि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है। इसी क्रम में उन्होनें आगे बताया कि स्व. मूलचन्द द्वारा दिनांक 12—03—1997 को एक वसीयत निष्पादित की गई जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उनके चार पुत्र थे। उक्त वसीयत कथित गोदनामें के बाद में निष्पादित की गई है।

उन्होनें आगे बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सगे भाई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्व. कुनणी एवं मूलचन्द के हस्ताक्षरित व निष्पादित गोदनामा प्रस्तुत किया गया है, उक्त गोदनामें व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में एकरूपता का अभाव पाया है एवं यह भी अभिलिखित किया गया है कि झंवरलाल कुनणी का गोदपुत्र है अथवा नहीं यह तथ्य साक्ष्य लेने के पश्चात् तय होना है। वादगत् भूमि कुनणी बेवा श्रीकिशन जाति माली की है जो

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 की धारा 15 (2)(बी) के अनुसार कुनणी व श्रीकिशन के विधिक वारिसान की होती है। ऐसी स्थिति में जब तब विवादित भूमि का टाईटल दावे के माध्यम से तय नहीं हो जाता है तब तक उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखी जानी आवश्यक है।

ऐसी स्थिति में चूंकि पक्षकारों के मध्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद जैरकार है। उक्त वाद में पक्षकारों के हक व हकूकों का निर्धारण होना है। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद में जब तक पक्षकारों के हक व हकूकों का निर्धारण नहीं हो जाता है, यदि उक्त निर्धारण से पूर्व यदि वादगत् भूमि को आगे रहन, बैय व मुन्तकिल किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ व मुकदमें की आवृति बढ़ेंगी। अदालत मातहत द्वारा भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वादगत् भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही ंपड़ना हैं क्योंकि पक्षकारों के मध्य वादगत् भूमि के बाबत् हक व हकूकों का अंतिम रूप से निस्तारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपरूणीय क्षति रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण के पक्ष में मानते हुए रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2000 पेज 573, आरआरटी 1987 पेज 593 व आरआरडी 2013 पेज 547 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि मौजारोही शरह कजाणी तहसील बीकानेर के पुराना खसरा नम्बर 10, 11 व 12 में कुल तादादी 64.15 बीघा जिसके बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 42 में 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 43 में 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 44 में 6.70 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 45 में 2.85 हेक्टर कुल तादादी 9. 75 हेक्टर के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट की दत्तक माता श्रीमती कुनणी बेवा श्रीकिशन जाती माली की खातेदारी प्राप्त एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। श्रीमती कुनणी बेवा श्रीकिशन ने अपीलांट को पूर्ण रीति रिवाज व रस्मों को निभाते हुए दिनांक 06—03—1956 को गोद लिया था। अपीलांट को गोद लेने के उपरान्त उक्त गोदनामा सब रजिस्ट्रार, बीकानेर द्वारा दिनांक 13—03—1956 को पंजीबद्व करते हुए रजिस्टर्ड किया गया।

श्रीमती कुनणी बेवा श्रीकिशन द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामें पर अपीलांट के प्राकृतिक पिता मूलचन्द के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट स्व. कुनणी एवं श्रीकिशन का गोदपुत्र है तथा वादगत् भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में किसी भी खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03—05—2006 को वादपत्र प्रस्तुत करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 03—05—2006 को वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त एकतरफ आदेश के उपरान्त करीब 12

वर्ष बाद वर्ष 2018 में अदालत मातहत द्वारा द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया गया है।

(3) इस संबंध में हमारा अभिमत है कि **धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में किसी भी निर्णय को पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विस्तृत विवेचन अंकित किया जाना अपरिहार्य होता है।** उक्त इन्ग्रिडेन्ट्स पर यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा अपना किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित नहीं किया जाता है तो ऐसा आदेश धारा 212 आरटीए के तहत प्रभावहीन व उक्त धारा की मंशा के विपरीत माना जाता है।

प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा पक्षकारों की बहस का तो विस्तृत विवेचन अपने निर्णय में अंकित किया गया है **परन्तु अपनी विवेचना में जिस पर अदालत मातहत का निर्णय अभिनिर्धारित किया गया है, उक्त विवेचना में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति किस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है, व किस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 के विरूद्व साबित है पर अपना विवेचन अंकित करने में पूर्णतया असफल रहे है।**

(4) हस्तगत् प्रकरण का मूल आधार श्रीमती कुनणी बेवा श्रीकिशन द्वारा निष्पादित गोदनामा जोकि दिनांक 06—03—1956 को निष्पादित किया गया था तथा दिनांक 13—03—1956 को सब रजिस्ट्रार, बीकानेर के समक्ष पंजीबद्व किया गया था, है। उक्त गोदनामा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करने से करीब 60 वर्ष से अधिक पुराना है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त गोदनामें को आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। नाही आज दिनांक तक उक्त गोदनामा किसी भी न्यायालय के समक्ष विवादित रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त गोदनामें की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है तथा उक्त गोदनामा आज दिनांक तक अखण्डनीय है।

(5) प्रस्तुत मामलें में उक्त गोदनामें दिनांक 06—03—1956 के अनुसरण में अपीलांट के पक्ष में नामान्तरणकरण संख्या 9 वर्ष 1961 में दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरणकरण को भी रेस्पोडेन्ट द्वारा आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। यदि रेस्पोडेन्ट्स उक्त गोदनामें से किसी प्रकार से व्यथित थे तो उन्हें उक्त गोदनामें को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराते हुए उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व चाराजोई करनी चाहिए थी। जैसाकि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया है।

(6) प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि **श्रीमती कुनणी बेवा श्रीकिशन द्वारा निष्पादित किये गये गोदनामा दिनांक 06—03—1956 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के प्राकृतिक पिता मूलचन्द स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है तथा अपीलांट के प्राकृतिक पिता द्वारा अपने जीवनकाल में जिनका स्वर्गवास दिनांक 12—3—1997 को हुआ है अर्थात अपने जीवनकाल में करीब 40 वर्ष तक उक्त गोदनामें पर कभी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है** ना ही उक्त गोदनामें को निरस्त कराने की कोई कार्यवाही अपीलांट के प्राकृतिक पिता द्वारा अपने जीवनकाल में की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त गोदनामें दिनांक 06—03—1956 की वैधता पर बिना साक्ष्य के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता।

अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. मूलचन्द द्वारा ना तो उक्त गोदनामें को कभी चैलेंज किया ना ही स्व. कुनणी की सम्पति पर किसी प्रकार का क्लेम अपने जीवनकाल में प्रस्तुत किया गया। स्व. मूलचन्द द्वारा वादगत् भूमि का इंतकाल जोकि अपीलांट के पक्ष में वर्ष 1961 को स्वीकृत किया गया था को किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेंज किया गया है। यहॉ तक की अप्रार्थी संख्या 3 पूनमचन्द द्वारा अपने जवाब में झंवरलाल को कुनणी का गोदपुत्र स्वीकार किया है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 गोरधन ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यहॉ तक अभिलिखित किया गया है कि कुनणी बेवा श्रीकिशन के मूलचन्द गोद गया है। इसप्रकार अप्रार्थीगणों द्वारा स्वयं विरोधाभासी कथन प्रकरण में किये गये है।

(7) प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जिस वसीयत का कथन किया जा रहा है उक्त वसीयत से वादगत् भूमि का कोई लेना—देना नहीं है नाही स्व. मूलचन्द द्वारा उक्त वसीयत का निष्पादन करते हुए वादगत् भूमि का कोई हवाला दिया गया है। यदि अपीलांट के प्राकृतिक पिता वादगत् भूमि पर अपना कोई हक व हिस्सा मानते तो ऐसी स्थिति में उनके स्वयं के द्वारा निष्पादित वसीयत में निश्चित रूप से उक्त वादगत् भूमि का हवाला दिया जाता। चूंकि अपीलांट के प्राकृतिक पिता द्वारा स्वयं गोदनामें में हस्ताक्षर अंकित है। ऐसी स्थिति में उन्हें इस तथ्य की सम्पूर्ण जानकारी थी कि वादगत् भूमि पर उनके किसी प्रकार के कोई हक व हकूक नहीं होने व वादगत् भूमि बतौर रजिस्टर्ड गोदपुत्र स्व. कुनणी बेवा श्रीकिशन अपीलांट झंवरलाल के नाम से दर्ज चली आ रही है। ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत को आधार बनाकर रेस्पोडेन्ट्स वादगत् भूमि के बाबत् किसी प्रकार की कोई रिलिफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

(8) प्रस्तुत मामलें में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् प्रस्तुत कर वादगत् भूमि मूलचन्द की मानकर वादगत् भूमि पर अपना 1/4 —1/4 हिस्सा धोषित करवाना चाहते है। जिसके लिए रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि स्व. मूलचन्द के चार पुत्रों के साथ—साथ पॉच बहिनें क्रमशः रतनी, संतोष, धन्नी, ओमी व लक्ष्मी भी है। जिसका स्व. मूलचन्द द्वारा निष्पादित वसीयत में भी अंकन है।

इस प्रकार मूलचन्द के नौ वारिस होने से वादगत् भूमि पर प्रत्येक का 1/9—1/9 हिस्सा बनता है। लेकिन **रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में स्व. मूलचन्द की पुत्रियों अर्थात अपनी सगी बहनों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसप्रकार रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए व concealment of fact के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया जाना साबित है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्स का प्रस्तुत मामलें में स्वच्छ हाथों से न्याायलय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होना साबित होता है।**

(9) प्रकरण में यह निर्विवाद है कि **रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आज दिनांक तक स्व. कुनणी बेवा श्रीकिशन द्वारा निष्पादित गोदनामा दिनांक 06—03—1956 को व उक्त गोदनामें के आधार पर स्वीकृत नामान्तरणकरण संख्या 9 जोकि वर्ष 1961 में स्वीकृत किया गया था, को किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है ना ही उन्हें निरस्त कराने की कोई कार्यवाही आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई है।** ऐसी स्थिति में बिना दस्तावोजी साक्ष्य के मात्र मूलचन्द के पुत्र होने के आधार पर यह कहना कि वादगत् भूमि पर उनके हक व हकूक साबित है पर्याप्त आधार नहीं है।

(10) प्रस्तुत मामलें में रेस्पोडेन्ट्स के अधिकारों का निर्धारण तो अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना शेष है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत व न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत हो कि वादगत् भूमि पर उनके हक व हकूक साबित होते हो।

जबकि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष गोदनामा दिनांक 06—03—1956, नामान्तरणकरण संख्या 9 जोकि वर्ष 1961 में स्वीकृत किया गया था व तत्पश्चात् उक्त नामान्तरणकरण के अनुसरण में अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी आदि की प्रतियॉ अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिससे प्रथम दृष्टठया वादगत् भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक साबित होते है। ऐसी स्थिति में बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अदालत मातहत द्वारा रिकार्डेड खातेदारी के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में मानने में अदालत मातहत द्वारा त्रूटि कारित की गई है। जिसे प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(11) प्रकरण में प्रस्तुत गोदनामा दिनांक 06—03—1956 व उक्त गोदनामें के आधार पर वर्ष 1961 में दर्ज नामान्तरणकरण संख्या 9 के आधार पर व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी आदि के अवलोकन से वादगत् भूमि पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व

अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरबीजे 1997 पेज 481 जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है किः–

Rajasthan Tenancy Act, 1955, Section 212 - No provision for passig order of status quo - temporary injunction cannot be issued against recorded khatedar.

इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2004 पार्ट II पेज 1045 जिसमें स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है किः–

Rajasthan Tenancy Act, 1955 Sec. 212 - Temporary injunction - Application rejected & order upheld in appeal - Revision - No Name of petitioner in any revenue record - No documentary evidence produced to prove old possission or ancestral property - Oral evidence that petitioner not residing in village since l ast 40 years - Non petitioners are the recorded khatedar - Concurrent findings - No prima facie case in favour of petitioner - No jurisdictional error in the order - order upheld.

उपरोक्त दोनों नजीरें मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है क्योंकि अपीलांट प्रथम दृष्टया वादगत् भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार रिकार्डेड खातेदार है तथा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादगत् भूमि पर उनके हक व हकूक साबित होते हो। अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड व राजस्व दस्तावोजों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया

गया है। जो पुष्टि योग्य आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अप्रतिरोधिक एवं अआक्षेपित गोदनामें द्वारा प्राप्त खातेदारी भूमि पर 60 वर्ष पश्चात् अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थन पत्र को निर्णित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल कारित की है। जिसका कोई औचित्य दर्शित नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त नजीरों व विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलेक्टर, बीकानेर का आदेश दिनांक 30—05—2018 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर